

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या -20/2023-24

तिथि	आदेश	कि गई कार्रवाई										
12/07/23	अभिलेख उप स्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी बोड़ाम के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान है :- 1. विक्रेता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है। 2. विक्रेता और क्रेता दोनों ही पिछड़ी जाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न) 3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही एक ही जिला के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि इसी जिले के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र अभिलेख के साथ संलग्न है) 4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (ख) के अन्तर्गत विक्रेता :- पबिता महतो पति-स्व० सीताराम महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-गुगलुबनी, थाना-बोड़ाम, अंचल-बोड़ाम, जिला-पूर्वी सिंहभूम को मूल्य-50,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता :-जगदीश महतो, पिता-मथन महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-गुगलुबनी थाना-बोड़ाम,, अंचल- बोड़ाम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>गुगलुबनी</td><td>74</td><td>09</td><td>44</td><td>0.13ए०</td></tr></table> के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है। लेखापित 12/7/23 भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम, जमशेदपुर	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	गुगलुबनी	74	09	44	0.13ए०	
मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा								
गुगलुबनी	74	09	44	0.13ए०								